Case No :- 28/2015
LAMS No :- 2015/00131

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/12/20	श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 27/01/21 को पेश हो।	
27/1/21	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस एवं अन्तिम आदेश लिया जाकर दिनांक 22/2/21 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	
22/2/21	पत्रावली आज पेश हुई बहस हेतु वकील अप्रार्थी द्वारा समय चाहा गया है दिया जाता है। अन्तिम आदेश लिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/3/21 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	[signature]
22.03.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत श्री अनिल मेहता अध्यक्ष, सी.ई. टी.पी., पाली , के.एन. शर्मा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लिमिटेड पाली, आर.बी. मौर्य, क्षेत्रीय अधिकारी, आर.पी.सी.बी. पाली के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 को अभियोजित करने के आदेश चाहे है लेकिन भारतीय दण्ड संहिता की किन–किन धाराओं का अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित होने से उन्हें अभियोजित किया जाना है अंकन नही किया है अप्रार्थी संख्या 2 क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको के विरूद्ध अभियोजित करने की कार्यवाही उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा ही कि जा सकती है धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रक्रियात्मक कार्यवाही का प्रावधान होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है। प्रकरण/ प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नही होने से किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इस न्यायालय से ... नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, पाली जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:41 IST
Reason: SelfAttested